

**बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि०,**  
 "खाद्य भवन", दारोगा राय पथ, आर०ब्लौक, रोड नं० 2, पटना 800001

**कार्यालय आदेश**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संकल्प ज्ञापांक प्र०३-विविध नि०-१०/२०१६-५३६३ दिनांक १८.१०.२०१७ द्वारा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के प्रशासनिक संरचना का पुनर्गठन किया गया है। इसके आलोक में निगम के आदेश ज्ञापांक १११८६ दिनांक ०३.११.२०१७ द्वारा पुनर्गठित संरचना को लागू किया गया है। प्रशाखा एवं संचिकाओं के सुचारू रूप से निष्पादन हेतु निगम मुख्यालय को निम्न रूप से प्रक्षेत्र, प्रभाग एवं शाखाओं में त्रिस्तरीय संरचना पुनर्गठित की जाती है :-

१. निगम मुख्यालय मुख्य रूप से दो प्रक्षेत्र में विभक्त होगा।  
 (क) जन वितरण प्रक्षेत्र (ख) अधिप्राप्ति प्रक्षेत्र
२. प्रक्षेत्र से नीचे निगम मुख्यालय आठ प्रभागों में विभक्त होगा पुनः इसके नीचे निगम मुख्यालय १३ शाखाओं में विभक्त होगा एवं विभिन्न प्रशाखाओं में प्रबंधक/लेखा पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायकों के बीच में कार्यों का वितरण प्रशाखा द्वारा अनुमोदनोपरांत किया जायेगा।
३. प्रशाखाओं द्वारा संबंधित संचिकाओं का संधारण किया जायेगा एवं पुनर्गठित संरचना एवं प्रक्षेत्र के अनुरूप एवं अनुलग्नक - (१) के अनुरूप संचिकाओं का निष्पादन किया जायेगा। इसकी विवरणी निम्न प्रकार होगी।

प्रक्षेत्र (क्र०)	प्रभाग का नाम एवं क्रमांक	शाखा का नाम एवं क्रमांक
(क) जन वितरण प्रक्षेत्र	(i) भंडारण प्रभाग	१ भंडारण शाखा
	(ii) जन वितरण प्रणाली प्रभाग	२ जन वितरण प्रणाली शाखा ३ परिवहन शाखा
	(iii) वित्त प्रभाग	४ वित्त लेखा एवं बजट शाखा ५ अंकेक्षण शाखा ६ दावा शाखा
(ख) अधिप्राप्ति प्रक्षेत्र	(iv) अधिप्राप्ति प्रभाग	७ अधिप्राप्ति एवं गुण नियंत्रण शाखा
	(v) आधुनिकीकरण प्रभाग	८ आधुनिकीकरण शाखा
	(vi) सामाच्य प्रशासन प्रभाग	९ प्रशासन शाखा १० क्रय एवं विधि शाखा ११ अनुश्रवण एवं मूल्यांकन शाखा
	(vii) सतर्कता प्रभाग	१२ सतर्कता शाखा
	(viii) तकनीकी प्रभाग	१३ तकनीकी शाखा

इसी प्रकार जिला स्तर पर निम्न रूप से जिला प्रबंधक का कार्यालय प्रशाखाओं में विभक्त होगा जिसकी विवरणी अनुलग्नक - (२) के रूप में है।

प्रक्षेत्र	प्रशाखा का नाम एवं क्रमांक
(क) अधिप्राप्ति	(i) अधिप्राप्ति शाखा
(ख) लेखा	(ii) लेखा शाखा
(ग) जन वितरण	(iii) जन वितरण शाखा

पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य अधिप्राप्ति एवं जन वितरण शाखा को अलग करना है। अतः तदनुसार जिला स्तर पर कार्यों का वितरण किया जायेगा। कृपया उपरोक्त निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

ज्ञापांक ३००२:८८-०१-१६ - ११५९१


प्रतिलिपि—सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/प्रबंध निदेशक कोषांग, निगम मुख्यालय एवं सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक-१६/११/१७

प्रबंध निदेशक

प्रबंध निदेशक


जिला स्तर पर प्रशासनिक संरचना (पुर्णगठित)



मुख्यमंत्री  
१६/३/१७

१२३४५

राज्य स्तर पर सरचना (पुर्णगठित)



१२३४५